117

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : तीन-निगरानी/भिण्ड/2017/2366 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-7-2017 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चंबल संभाग , मुरैना - प्रकरण क्रमांक 269/2015-16 अपील

रामशरण सिंह पुत्र गुलाब सिंह ठाकुर
ग्राम नुन्हाटा तहसील व जिला भिण्ड ---आवेदक

विरूद्ध

सरनाम सिंह पुत्र गंगा सिंह कुशवाह
ग्राम नुन्हाटा तहसील व जिला भिण्ड
हाल निवास बी0एच0 18 दीनदयाल
नगर ग्वालियर जिला ग्वालियर,म0प्र0 ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री बिनोद श्रीवास्तव)
(अनावेद के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)

आ दे श

(आज दिनांक 9 - 3 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग , मुरैना के प्रकरण क्रमांक 269/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-7-17 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने कलेक्टर जिला भिण्ड को माननीय उच्च न्यायालय खंड पीठ ग्वालियर के डब्ल्यू0पी0नंबर 4488/2013 में पारित आदेश दिनांक 26-7-13 की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित आवेदन देकर बताया कि वह 70 वर्षीय वृद्व व्यक्ति है तथा उसके स्वामित्व की ग्राम नुन्हाटा स्थिति भूमि सर्वे क्रमांक 2493/1 एंव 1341/1 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि

सम्बोधित किया गया है) पर आवेदक अतिक्रमण किये है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई जाय। कलेक्टर जिला भिण्ड ने आवेदन निराकरण हेतु तहसीलदार भिण्ड को प्रेषित किया , जिस पर से तहसीलदार भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 15/ 13-14 बी 121 पॅजीबद्व किया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 8-9-14 पारित किया एंव म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 का दावा आवेदक सावित करने में असफल रहने के आधार पर प्रकरण निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 21/2014-15 अपील में परित आदेश दिनांक 18 जुलाई 2017 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 8-9-14 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग , मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 269/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-7-17 से अपील निरस्त कर दी तथा पक्षकारों को मान. उच्च न्यायालय के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होने हेतु ताकीद कर दिया। अपर आयुक्त, चंबल संभाग , मुरैना के आदेश दिनांक 18-7-17 से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के क्रम में निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में डब्ल्यू0पी0नंबर 4488/2013 दायर की है जिसमें पारित आदेश दिनांक 26-7-13 का अंश उद्वरण इस प्रकार है :-

" In this view of the matter, writ petition is disposed of with a direction to the respondent No. 2 to consider the grievance of the petitioner within a period of six weeks and the petitioner shall submit a detailed a

representation before the authority alongwith the certified copy this order in this regard.

प्रकरण में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है जब अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने प्रकरण कमांक 21/2014-15 अपील में परित आदेश दिनांक 18 जुलाई 2017 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 8-9-14 निरस्त कर दिया, प्रकरण उसी स्थिति में पहुंच गया, जो कि माननीय उच्च न्यायालय खंड पीठ ग्वालियर के आदेश दिनांक 26-7-13 के उपरांत थीं जिसके आधार पर अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 269/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-7-17 से पक्षकारों को मान. उच्च न्यायालय के निर्देश के प्रकाश में तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होने हेतु ताकीद किया, जिससे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में पुर्नविचार कार्यवाही हो सके। फलस्वरूप अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 18-7-17 में किसी प्रकार की विसंगति नहीं है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है क्योंकि उभय पक्ष को तहसीलदार के समक्ष पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 269/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-7-17 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर